न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— श्री **गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)**

मुकदमा नम्बरः— 92/2022 निर्णय दिनांक :—24.02.2023

सरकार बनाम श्री प्रभू पुत्र श्री देवा जाति अहीर निवासी कैरोठ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :—24.02.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी/अतिक्रमी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का पापड़ा कला तथा भू.अ. निरीक्षक पापड़ा कला द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का पापड़ा कला के ग्राम कैरोठ में स्थित भूमि ख.न. 01 कुल रकबा 3.10 है0 किस्म गै0मु. चारागाह में से 0.20 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री प्रभू पुत्र श्री देवा जाति अहीर निवासी कैरोठ तहसील उदयपुरवाटी ने अनाधिकृत रूप से पक्की दिवार बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस प्राप्ती पर अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा दिनांक 08.08.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । जवाब नोटिस निम्न प्रकार से हैः— यह प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। उक्त भूमि प्रार्थी की भूमि से सटकर है जिसमें प्रार्थी ने छड़ीया आदी डाल रखी है जो प्रार्थी उठा लेगा।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबुत पैश नही किया गया । अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

पटवार हल्का पापड़ा कला को ग्राम कैरोठ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 01 कुल रकबा 3.10 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.20 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री प्रभू पुत्र श्री देवा जाति अहीर निवासी केरोठ तहसील उदयपुरवाटी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ. ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 0.20/– रूपये का 50 गुणा यानि कुल 10/– रूपये (अक्षरे दस रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिक्रमी पर आरोपित किया जाता है। निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एंव भू0अ0 निरीक्षक को लिखा जावें। भू0अ0 निरीक्षक पापड़ा कला को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

अन्दर्ज वर्ष 2022-23 पृ० 30
रुपये 10/– कायमी की गई

राजस्व लेखाकार